86/2016
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

13

अपील सूचना अधिकार संख्या 86/2016 अनवानी श्री राधेश्याम गोयल पुत्र स्व0 श्री भगवानदास गोयल जाति अग्रवाल निवासी 23 के ब्लॉक, श्रीगंगानगर बनाम जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर

07–02–2017

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल उपस्थित है। लोक सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि उपस्थित नही है। अपीलार्थी की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपीलार्थी का कथन है कि उसके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन पत्र दिनांक 01.04..2016 के द्वारा जिला रसद अधिकारी से चाही गई सूचना उनके द्वारा उपलब्ध नही करवाई गई है जो उसे उपलब्ध करवाई जावे एवं लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध न करवाये जाने के कारण उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे एवं उन पर 25000 रूपये का जुर्माना लगाया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल ने अपने सूचना के अधिकार अधिनियम के आवेदन पत्र दिनांक 01.04.2016 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी, जिला रसद अधिकारी श्रीगंगानगर से निम्न सूचना चाही थी:–

> राशन कार्ड संख्या 4083/323(बी) (सलग्न फोटो प्रति) श्रीमति गंगादेवी 23के ब्लॉक, श्रीगंगानगर के राशन कार्ड की प्रमाणित प्रतिलिपि

अपीलार्थी के अपील पत्र पर जिला रसद अधिकारी श्रीगंगानगर ने अपने जबाब सं0 3523 दि0 31.05.2016 प्रस्तुत किया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना से संबंधित रिकार्ड उनके कार्यालय में उपलब्ध नही होने के कारण आवेदक का आवेदन पत्र धारा 2 (च) के तहत खारिज कर उनके कार्यालय के पत्र सं0 2880 दिनांक 25.04.16 के द्वारा द्वारा अपीलार्थी को निम्नानुसार उत्तर दिया गया है:–

> उक्त सूचना के संबध में आपको सूचित किया जाता है कि मुताबिक राशन–कार्ड लिपिक रिपोर्ट के अनुसार कार्यालय हाजा में सन् 2002 से राशन कार्ड का रिकार्ड उपलब्ध है। पूर्व का कोई भी रिकार्ड कार्यालय में उपलब्ध नही है। अतः आपका आवेदन पत्र आरटीआई की धारा 2(च) के तहत खारिज किया जाता है। इस संबध में आपको कोई उज्र हो तो आप प्रथम अपील जिला कलक्टर श्रीगंगानगर के कार्यालय में 30 दिन में कर सकते है।

जिला रसद अधिकारी के उक्त प्रतिवेदन अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना से संबंधित रिकार्ड उनके कार्यालय में उपलब्ध नही है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। इस प्रकार जिला रसद अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को दिया गया उत्तर सही है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है। इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भेजी जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 07.02.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञाना राम)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर